बिहार सरकार
गृह विभाग
अभियोजन निदेशालय

मुख्य सचिवालय, ब्लॉक–2, द्वितीय तल, पटना–800015

कार्यालय आदेश 310 /2026

सं0सं0–अ0नि0(02) 48 / 2025 / नि0सं0

श्रीमती सीमा शर्मा, अभियोजन पदाधिकारी, अभियोजन निदेशालय, बिहार, पटना को वित्त विभागीय अधिसूचना सं0 5059 दिनांक 16.06.2014 एवं अधिसूचना संख्या 640 दिनांक 19.01.2015 में अन्तर्निहित प्रावधानों के अन्तर्गत प्रथम संतान हेतु दिनांक 21.10.2026 से दिनांक 18.04.2027 तक कुल 180 (एक सौ अस्सी) दिनों का मातृत्व अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. श्रीमती सीमा शर्मा के मातृत्व अवकाश के उपभोग की अवधि में इनके पटल से सम्बन्धित सभी कार्य सुश्री रागिनी कुमारी, अभियोजन पदाधिकारी को अपने कार्यों के अतिरिक्त आवंटित किया जाता है।

3. इसमें प्रधान सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0 / –
(अजीत कुमार)
उप सचिव।

ज्ञापांक: अ0नि0(02) 48 / 2025 / नि0सं0 2815 पटना, दिनांक 13/10/26

प्रतिलिपि:–

1. वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
2. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी / लेखा शाखा, अभियोजन निदेशालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
3. श्रीमती सीमा शर्मा / सुश्री रागिनी कुमारी, अभियोजन पदाधिकारी, अभियोजन निदेशालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
4. अभियोजन निदेशालय के सभी सम्बन्धित पदाधिकारियों / कर्मियों को सूचनार्थ प्रेषित।
5. प्रोग्रामर, अभियोजन निदेशालय, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

13/10/26
उप सचिव।